उत्तरांचल प्रेस-प्रतिनिधि

मान्यता नियमावली–2001

सूचना एवं लोकसम्पर्क विभाग,
उत्तरांचल

उत्तरांचल प्रेस-प्रतिनिधि मान्यता नियमावली-2001

संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ :-

1. (क) यह नियमावली उत्तरांचल प्रेस–प्रतिनिधि मान्यता नियमावली 2001 के नाम से जानी जायेगी।

(ख) यह नियमावली तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

2. **परिभाषाएं :-**

विषय और संदर्भ से यदि अन्य अर्थ न निकलता हो तो निम्नलिखित शब्दों का अर्थ वही है जो उनके सामने दिया जा रहा है :–

(क) "सरकार" का अर्थ है उत्तरांचल सरकार।

(ख) "अधिशासी निदेशक" का अर्थ है अधिशासी निदेशक, सूचना एवं लोकसम्पर्क विभाग, उत्तरांचल।

(ग) "पत्र–प्रतिनिधि" का अर्थ है संवाददाता तथा फोटोग्राफर जो किसी समाचार–पत्र, समाचार एजेन्सी, फीचर एजेन्सी, समाचार फोटो एजेन्सी, ब्रॉडकास्टिंग कम्पनी अथवा इलेक्ट्रानिक माध्यम व साइबर मीडिया का प्रतिनिधित्व करता हो।

(घ) "राज्य प्रेस मान्यता समिति" जिसके लिए आगे समिति का प्रयोग किया गया है, का अर्थ है एक ऐसी समिति जिसका गठन सरकार ने राज्य में कार्य करने वाले पत्र–पतिनिधियों को मान्यता देने के प्रश्न पर सलाह के लिए किया है।

(ड.) "संपादक" का अर्थ है वह व्यक्ति जो प्रेस एवं पुस्तक रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1867 के अन्तर्गत घोषित संपादक हो।

(च) "समाचार–पत्र" का अर्थ है सावधिक पत्र जिसमें समाचार और उस पर टिप्पणियाँ प्रकाशित होती हैं।

3. **प्रेस मान्यता समितिः-** प्रेस मान्यता समिति का गठन शासन द्वारा किया जायेगा। समिति में कम से कम 5 सदस्य व अधिकतम 11 सदस्य होंगे तथा सामान्यतः समिति का कार्यकाल दो वर्ष का होगा। यदि शासन चाहे तो समिति कभी भी भंग की जा सकती है।

4. **समिति के अध्यक्ष एवं संयोजकः-** समिति अपने अध्यक्ष का चुनाव स्वयं करेगी। अधिशासी निदेशक अथवा उनके प्रतिनिधि समिति के पदेन संयोजक होंगे।

5. **समिति की बैठकें:-** आवश्यकता के अनुसार समिति की बैठक होगी, लेकिन बैठक तीन महीने में एक बार अवश्य बुलाई जायेगी।

6. **बैठक का कोरमः-** बैठक के लिए कम से कम तीन सदस्यों का कोरम होगा।

7. **बैठक का नोटिसः-** समिति की सामान्य बैठक के लिए सामान्यतः 10 दिन की नोटिस दी जायेगी। आकस्मिक बैठक 48 घंटे की नोटिस देकर भी बुलाई जा सकती है।

8. **समिति द्वारा मान्यता पर विचारः-** नोटिस के साथ समिति के सदस्यों में मान्यता चाहने वाल प्रतिनिधियों और सम्बन्धित संस्थाओं के नामों की सूची आवश्यक विवरण सहित वितरित की जायेगी। समिति उन आवेदन–पत्रों पर भी विचार कर सकती है, जिनकी सूचना बैठक के पूर्व नहीं दी जा सकी।

9. **मान्यता के लिए संस्तुतिः-** समिति मान्यता के लिये प्राप्त सभी आवेदनों पर विचारोपरान्त अपनी संस्तुति अधिशासी निदेशक सूचना को अन्तिम निर्णय हेतु प्रस्तुत करेगी।

शासन के मुख्यालय में मान्यता के नियम

10. **मान्यता के लिए आवेदन-पत्रः-**

(1) मान्यता प्रदान करने के लिए समाचार–पत्र का सम्पादक या विशेष परिस्थितियों में समाचार संपादक, प्रेस एजेन्सी का सम्पादक अथवा मैनेजर किसी समाचार–पत्र, समाचार एजेन्सी, फीचर एजेन्सी, समाचार फोटो एजेन्सी, ब्राडकास्टिंग संस्थान अथवा इलेक्ट्रानिक मीडिया और साइबर मीडिया का प्रतिनिधित्व करने वाला प्रतिनिधि, फोटोग्राफर अपने प्रधान के द्वारा अधिशासी निदेशक को निर्धारित फार्म (परिशिष्ट–1) में आवेदन–पत्र देगा। प्रत्येक आवेदन–पत्र के साथ पत्र प्रतिनिधि का पासपोर्ट आकार का फोटो भी भेजा जाना चाहिए। अधिशासी निदेशक उचित सलाह के लिये, आवेदन–पत्र समिति को विचारार्थ प्रस्तुत करेगे। यदि समिति किसी आवेदक को मान्यता न देने का निर्णय करती है तो उस दशा में ऐसे निर्णय की सूचना आवेदक को तथा सम्बन्धित समाचार माध्यम/संगठन को दी जायेगी।

2. (क) समाचार संगठनों के संपादकों को विशेष परिस्थिति में मान्यता दी जा सकती है यदि मान्यता समिति संतुष्ट है कि आवेदनकर्ता सचमुच सामयिक मामलों को कवर कर रहा है तथा उसे मान्यता की आवश्यकता है। मुख्यालय से प्रकाशित दैनिक समाचार–पत्र के संपादक को उसी स्थिति में मुख्यालय पर मान्यता दी जा सकती है जब उसका मुख्यालय पर मान्यता प्राप्त कोई प्रतिनिधि न हो।

(ख) साप्ताहिक या अन्य सावधिक समाचार–पत्रों के प्रतिनिधि को, विशेष परिस्थितियों में ही मान्यता दी जायेगी।

11. **मान्यता की शर्तेः-** मान्यता प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगीः–

(क) पत्र–प्रतिनिधि का निवास मान्यता की अवधि में मुख्यालय में होगा।

(ख) उसे श्रमजीवी पत्रकार एवं सेवा शर्तें तथा अन्य विविध प्राविधान अधिनियम, 1955 के अनुसार श्रमजीवी–पत्रकार होना चाहिए तथा पत्र–प्रतिनिधि के रूप में उसकी नियुक्ति पूर्णकालिक होनी चाहिए तथा वेतन मण्डल के रेगुलेशन के अनुसार उसे वेतन मिल रहा हो। उसे पूर्णकालिक पत्रकार के रूप में पत्रकारिता का कम से कम पांच वर्ष का अनुभव होना चाहिये। मान्यता–प्राप्त प्रतिनिधि को व्यवस्थापक से प्राविडेन्ट फण्ड की संख्या व प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराना होगा।

(ग) यदि आवेदनकर्ता किसी समाचार–पत्र का प्रतिनिधि है तो मान्यता प्रदान करने से पूर्व पत्र की निम्नांकित बातों पर विचार किया जायेगाः–

(i) समाचार–पत्र का स्तर और प्रकार

(ii) पत्र के प्रकाशन की अवधि और नियमितता

(iii) राज्य में उसकी ग्राहक संख्या और उसकी प्रतिष्ठा

(iv) रजिस्ट्रार न्यूज पेपर्स द्वारा प्रमाणित न्यूनतम ग्राहक संख्या दैनिक पत्र के लिए राज्य में कम से कम 10,000 होनी चाहिए।

(v) शासन के मुख्यालय पर मान्यता चाहने वाले पत्र–प्रतिनिधि के पास अपने से संबंधित समाचार–पत्र की समाचार प्रेषण हेतु टेलीग्राफिक एथॉरिटी अथवा प्रीपेड ट्रंकॉल फैसिलिटी का प्रमाण–पत्र होना चाहिए, यदि पत्र का प्रकाशन राज्य मुख्यालय से न होता हो।

(घ) समाचार–पत्र या समाचार एजेन्सी के प्रतिनिधि को श्रमजीवी पत्रकारों के वेतन मण्डल की सिफारिश तथा भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की संबंधित अधिसूचना के अनुसार उनके समाचार–पत्र अथवा समाचार एजेन्सी की श्रेणी के लिए निर्धारित वेतन आहरित करना चाहिए। व्यवस्थापक इस विषय में प्रतिनिधि के

बारे में सूचित करें कि प्रॉविडेन्ट फण्ड कटता है कि नहीं तथा इस आशय का प्रमाण संख्या के साथ देंगे।

(च) समाचार, फीचर अथवा फोटो एजेन्सी से सम्बद्ध प्रतिनिधि को मान्यता प्रदान करने के लिए निम्नांकित बातों पर विचार किया जायेगाः–

(i) एजेन्सी का प्रकार।

(ii) उसका कार्यकाल।

(iii) वितरण–प्रणाली।

(छ) प्रेस फोटोग्राफरों को मान्यता प्रदान करने से पूर्व निम्नलिखित बातों पर विचार किया जायेगाः–

(i) संबंधित समाचार–पत्र का स्तर।

(ii) उसे प्रेस फोटोग्राफर होनाा चाहिए।

(iii) शेष प्रमाण पत्र उपर्युक्त की भाँति प्रस्तुत करने होंगे।

(ज) **स्वतंत्र पत्रकारः**- समिति ऐसे आवेदक को भी मान्यता प्रदान कर सकती है, जो किसी विशेष समाचार माध्यम/संगठन से सम्बद्ध न हो लेकिन प्रतिबन्ध यह है कि उसे पूर्णकालिक पत्रकार के रूप में कम से कम 20 वर्ष का अनुभव होना चाहिये और नियमित रूप से किन्ही दो प्रतिष्ठित मान्यता प्राप्त पत्र–पत्रिकाओं में लेख छपते रहने चाहिये और पत्रकारिता के माध्यम से उसकी सिद्ध वार्षिक आय 12,000 रूपये से कम न हो।

(झ) मान्यता से कोई सरकारी या विशेष दर्जा प्राप्त नहीं होगा परन्तु जनहित में व्यवसायिक पत्रकारिता के कार्य के निष्पादन हेतु पत्रकारों की पहचान के लिये मान्यता दी जाती है।

(ञ) मान्यता का उपयोग केवल समाचार संकलन हेतु ही है अन्य किसी कार्य के लिए नहीं।

12. **मान्यता के लिए संवाददाताओं की संख्या** : स्थानीय समाचार–पत्र अथवा श्रृंखलाबद्ध समाचार पत्र हेतु केवल एक प्रतिनिधि को मान्यता दी जायेगी। विशेष परिस्थितियों में एक से अधिक प्रतिनिधि को मान्यता इस शर्त पर प्रदान की जा सकती है कि समारोह में वे अपने एक ही प्रतिनिधि के लिये सुविधा चाहेंगे।

13. **मान्यता का प्रभाव** : मान्यता देकर पत्र प्रतिनिधि का कोई सरकारी स्तर निर्धारित नहीं किया जाता है। सरकार पत्र–प्रतिनिधि को केवल संबंधित समाचार–पत्र अथवा प्रेस एजेन्सी के प्रतिनिधि के रूप में मान्यता प्रदान करती है। अतः उसे अपने "विजिटिंग कार्ड" और "लेटर हेड" पर "उत्तरांचल सरकार से मान्यता प्राप्त" आदि विवरण प्रकाशित नहीं कराना चाहिए।

14. **मान्यता व्यक्तिगत** : मान्यता व्यक्ति विशेष को प्रदान की जाती है अतः उसे हस्तान्तरित नहीं किया जा सकता।

15. **प्रेस प्रतिनिधियों के लिये पास** :- मान्यता प्राप्त प्रतिनिधियों को एक प्रेस कार्ड दिया जायेगा, जिस पर प्रेस–प्रतिनिधि का पासपोर्ट आकार का एक चित्र रहेगा। मान्यता कार्ड का उपयोग सामान्यतः सरकार अथवा किसी अधिकृत सरकारी अधिकारी द्वारा आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में और सरकारी कार्यालयों में प्रवेश के लिये किया जायेगा। इस कार्ड से उन विशेष आयोजनों में प्रवेश नहीं किया जा सकेगा जिनमें प्रवेश के लिये विशेष निमंत्रण–पत्र अथवा सुरक्षा पास (सिक्योरिटी पास) जारी किये जाते हैं।

16. **मान्यता प्राप्त प्रेस प्रतिनिधियों की सूची**:- निदेशक के कार्यालय में मान्यता प्राप्त प्रतिनिधियों की एक सूची रहेगी।

17. **मान्यता प्राप्त प्रतिनिधियों की सूची का पुनरीक्षण** :- मान्यता प्राप्त प्रतिनिधियों की सूची का समिति समय–समय पर पुनरीक्षण करेगी। पुनरीक्षण सामान्यतः छः महीने में एक बार किया जायेगा।

18. **मान्यता का वापस लिया जाना:-**

निम्नलिखित परिस्थितियों में मान्यता वापस ली जा सकती है।

(क) यदि कोई मान्यता प्राप्त पत्र–प्रतिनिधि उपलब्ध सूचनाओं और सुविधाओं का उपयोग पत्रकारिता के अतिरिक्त विज्ञापन अथवा अन्य कार्यों के लिए करता है।

(ख) मान्यता प्राप्त प्रतिनिधि के गैर पत्रकारिता गतिविधियों में रत होने या अशोभनीय आचरण करने की दशा में मान्यता निलम्बित या वापस ली जा सकती है।

(ग) यदि मान्यता प्राप्त प्रतिनिधि अपने अथवा अपने संगठन के बारे में झूठी सूचना देते पाया जाता है और यदि उसे अपने बचाव का उचित अवसर देने के बाद समिति को यह संतोष हो जाता है कि आरोप सही है तो मान्यता निलम्बित या वापस ली जा सकती है।

(i) उपर्युक्त आधार पर मान्यता समाप्त करने से पूर्व संबंधित पत्र–प्रतिनिधि को कारण बताओं नोटिस दिया जायेगा और उससे प्राप्त उत्तर या एक निर्दिष्ट अवधि में उत्तर प्राप्त न होने पर मामले के अन्य उपलब्ध तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अन्तिम निर्णय लिया जायेगा।

(ii) पत्र–प्रतिनिधि यदि समिति के समक्ष व्यक्तिगत रूप से अपना पक्ष स्पष्ट करना चाहे तो आवश्यकतानुसार उसे इसका अवसर दिया जायेगा।

9. **मान्यता का पुनरीक्षण:-** (1) पत्र–प्रतिनिधियों को जिन परिस्थितियों में मान्यता दी गई है उनमें यदि कोई भी परिवर्तन आ जाये जिनके आधार पर मान्यता पुनरीक्षण आवश्यक हो जाए तो सामान्य पुनरीक्षण के समय अथवा किसी भी समय संबंधित पत्र–प्रतिनिधि की मान्यता के विषय में समिति अपने विवेक का प्रयोग करते हुए निश्चय करेगी।

(2) समिति को पुनरीक्षण के लिए संबंधित पत्र–प्रतिनिधि / समाचार–पत्र / समाचार समिति से कोई भी सूचना प्राप्त करने का अधिकार होगा। निर्धारित अवधि के भीतर सूचना न प्राप्त होने पर संबंधित पत्र–प्रतिनिधि की मान्यता समाप्त की जा सकती है।

20. **मान्यता की समाप्तिः-** (1) समाचार–पत्र आदि छोड़ने पर मान्यता की समाप्ति यदि कोई मान्यता प्राप्त पत्र–प्रतिनिधि अथवा फोटोग्राफर संबंधित समचार–पत्र, समाचार एजेन्सी, फोटो एजेन्सी, ब्रॉडकास्टिंग संस्था अथवा टेलीविजन का प्रतिनिधित्व छोड़ता है तो पत्र–प्रतिनिधि, संपादक अथवा एजेन्सी या ब्यूरों के मैनेजर द्वारा इसकी लिखित सूचना अविलम्ब अधिशासी निदेशक को दी जानी चाहिए। इस स्थिति में मान्यता स्वतः ही समाप्त मानी जायेगी।

(2) किसी समाचार–पत्र का प्रकाशन बन्द होने या संवाद समिति बन्द होने पर उसके प्रतिनिधि को शासन द्वारा प्रदत्त मान्यता स्वतः रद्द हो जायेगी।

21. **मुख्यालय में लगातार अनुपस्थितिः-** यदि मान्यता प्राप्त पत्र–प्रतिनिधि मुख्यालय से लगातार तीन महीने तक बाहर रहता है तो उसकी मान्यता अधिशासी निदेशक द्वारा अध्यक्ष की अनुशंसा से समाप्त की जा सकती है, परन्तु वह कार्यवाही संबंधित समाचार–पत्र, समाचार एजेन्सी के संपादक, मैनेजर जैसी स्थिति हो, से पूछ कर ही की जायेगी। वह अवधि संबंधित संपादक और मैनेजर के लिखित अनुरोध पर तीन मास और बढ़ाई जा सकती है।

22. **निर्णय के विरुद्ध प्रत्यावेदनः-** समाचार पत्र एजेन्सी और पत्र–प्रतिनिधि इन नियमों के अन्तर्गत लिये गये किसी भी निर्णय के विरुद्ध शासन को प्रत्यावेदन कर सकते है। प्रत्यावेदन, संबंधित समाचार–पत्र, एजेन्सी अथवा पत्र–प्रतिनिधि को निर्णय प्राप्त होने के दो मास के भीतर शासन के पास पहुंचा देना चाहिए संबंधित व्यक्ति या संगठन को स्पष्टीकरण का पूरा अवसर देने के पश्चात्

समिति के परामर्श से शासन जो निर्णय लेगा, वह अन्तिम माना जायेगा।

23. **समीक्षा एवं पुनर्विचार** :- समीक्षा के लिए वितरण संख्या राजस्व आदि के बारे में सूचना मांगी जा सकती है तथा माध्यम प्रतिनिधि से प्रकाशित समाचारों अथवा चित्रों या संबंधित समाचार–माध्यम, संगठनों को "डोपसीट" उपलब्ध कराने के लिए कहा जा सकता है।

जिला मुख्यालय तथा जिले के प्रमुख स्थानों में मान्यता के नियम

24. **विस्तार:-** यह नियम राज्य के समाचार–पत्रों अथवा समाचार एजेन्सियों के जिला मुख्यालयों अथवा प्रमुख स्थानों में स्थित पत्र–प्रतिनिधि के लिए लागू होंगे।

25. **आवेदन:-** समाचार–पत्र अथवा समाचार एजेन्सी का सम्पादक या पत्र–प्रतिनिधि जिलें में मान्यता के लिए प्रस्तावित पत्र–प्रतिनिधियों के नाम निर्धारित फार्म (परिशिष्ट–2) पर पासपोर्ट आकार की फोटो सहित अधिशासी निदेशक को भेजेंगे। अधिशासी निदेशक पत्र–पतिनिधियों की सूची अपनी टिप्पणी और जिलाधिकारियों से उपलब्ध सूचनाओं को मान्यता समिति के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। सम्पादक जिला पत्र–प्रतिनिधियों की सूची के साथ उनके पत्रकारिता संबंधी अनुभव आदि का उल्लेख करेंगे। मान्यता पत्र अधिशासी निदेशक जारी करेंगे। यदि समिति किसी आवेदक को मान्यता न देने का निर्णय करती है तो उस दशा में ऐसे निर्णय को सूचना आवेदक को तथा संबंधित समाचार माध्यम/संगठन को दी जायेगी।

26. **शर्तें:-** जिला मुख्यालय में मान्यता प्राप्त करने के लिए समाचार–पत्र अथवा समाचार एजेन्सी के पत्र–प्रतिनिधियों के लिए निम्नलिखित बातें जरूरी हैं :–

(i) सामान्यतः मान्यता प्राप्ति के समय पत्र–प्रतिनिधि का निवास जिले में ही होना चाहिए।

(ii) उसे सक्रिय पत्रकार होना चाहिए।

(iii) सरकारी कार्यालयों, स्थानीय निकायों और अर्ध सरकारी प्रतिष्ठानों तथा सरकार द्वारा संचालित वित्त निगमों का उसे कर्मचारी नहीं होना चाहिए।

(iv) समिति जिला मुख्यालय में ऐसे आवेदक को भी मान्यता प्रदान कर सकती है जो किसी विशेष समाचार माध्यम, संगठन से सम्बद्ध न हो लेकिन प्रतिबन्ध होगा कि पूर्णकालिक पत्रकार के रूप में कम से कम 20 वर्ष का अनुभव हो तथा नियमित रूप से 2 प्रतिष्ठित मान्यता प्राप्त पत्र/पत्रिकाओं में लेख छपते हों और पत्रकारिता से सिद्ध वार्षिक आय रू. 6000 से कम न हो।

27. **विचारणीय बिन्दुः-** समाचार एजेन्सियों के प्रतिनिधियों को मान्यता प्रदान करने के लिए निम्नलिखित बातों पर विचार किया जायेगाः–

(i) वितरण–प्रणाली और सेवाएं तथा

(ii) न्यूनतम दस हजार समाचार पत्रों का उल्लेख, जिन्हें सशुल्क समाचार भेजे जाते हैं।

28. **प्रकाशन सम्बन्धी बिन्दुओं पर विचार** :- समाचार पत्रों के प्रतिनिधियों को मान्यता प्रदान करने के लिए निम्नलिखित बातों पर विचार किया जायेगाः-

(i) प्रकाशन की अवधि और नियमितता

(ii) वेतन मण्डल के अनुसार समाचार पत्र की श्रेणी और उसकी ग्राहक संख्या मान्यता देने के लिए दैनिक पत्र की प्रमाणित ग्राहक संख्या मैदानी क्षेत्र हेतु 2000 एवं पर्वतीय क्षेत्र हेतु 1000 तथा साप्ताहिक पत्र की ग्राहक संख्या मैदानी क्षेत्र हेतु 1000 तथा पर्वतीय क्षेत्र हेतु

500 होनी चाहिए। प्रमाण–पत्र रजिस्ट्रार न्यूजपेपर्स का होना चाहिए। नियमितता कम से कम 80 प्रतिशत प्रकाशन पर मानी जायेगी।

29. प्रदेश में 2000 तक प्रसार वाले दैनिक समाचार पत्रों के संपादक को मान्यता दिये जाने पर विचार किया जा सकता है। साप्ताहिक पत्र के संपादक को यदि वह नियमानुसार अन्य शर्तें पूरी करता है, तो उसे भी मान्यता देने के प्रश्न पर विचार किया जा सकता है।

30 प्रदेश के बाहर प्रकाशित दैनिक पत्रों के सम्बन्ध में :–

(क) प्रदेश के बाहर प्रकाशित दैनिक पत्र जिसकी प्रसार संख्या कम से कम एक लाख हो, को नियम–11 की पूर्ति करने वाले प्रतिनिधियों को राज्य मुख्यालय में ही मान्यता दी जा सकती है। विशेष परिस्थितियों में संपादक द्वारा औचित्य बताने पर अन्य स्थान पर मान्यता दी जा सकती है। प्रमाण–पत्र रजिस्ट्रार न्यूजपेपर्स का होना चाहिए।

(ख) प्रदेश में प्रकाशित बड़े दैनिक समाचार पत्र, जिनकी प्रसार 5,000 से 10,000 तक हो, उनके एक, 25000 तक दो, 25000 से ऊपर तीन प्रतिनिधियों को उनके प्रकाशन के जिले में मान्यता दी जायेगी तथा इससे अधिक होने पर अधिकतम चार प्रतिनिधियों को उसके प्रकाशन के जिले में तथा केवल एक प्रतिनिधि को जिला मुख्यालयों पर ही मान्यता दी जायेगी। प्रमाण–पत्र रजिस्ट्रार, न्यूजपेपर्स तथा ऑडिट ब्यूरों ऑफ सर्कुलेशन का होना चाहिए।

(ग) प्रदेश के अन्य दैनिक समाचार पत्रों, जिनकी प्रसार संख्या 2000 तक हो उसके एक–एक प्रतिनिधि को केवल उनसे सम्बन्धित मंडल के जिलों में मान्यता दी जा सकती है। प्रमाण–पत्र रजिस्ट्रार, न्यूजपेपर्स तथा ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन का होना चाहिए।

(घ) प्रदेश के ऐसे साप्ताहिक पत्र जिनकी प्रसार संख्या 1000 से अधिक हो, के एक प्रतिनिधि को मंडलों के मुख्यालयों में ही मान्यता दी जा सकती है। प्रमाण–पत्र रजिस्ट्रार, न्यूजपेपर्स तथा ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन का होना चाहिए।

(ड.) 1000 से कम प्रसार वाले प्रदेश के साप्ताहिक पत्रों के एक प्रतिनिधि को पत्र के प्रकाशन के जिले के मुख्यालय में तथा सम्बन्धित मंडल के मुख्यालय में मान्यता दी जा सकती है। प्रमाण–पत्र रजिस्ट्रार, न्यूजपेपर्स तथा ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन का होना चाहिए।

(च) दैनिक पत्रों के फोटोग्राफरों के प्रार्थना–पत्र भी विचार किया जा सकता है।

31. जिलों में मान्यता के वापस लिए जाने की परिस्थितियाँः–

निम्नलिखित परिस्थितियों में मान्यता वापस ली जा सकती है।

(1) क– यदि कोई पत्र–प्रतिनिधि उपलब्ध सूचनाओं और सुविधाओं का उपयोग पत्रकारिता के अतिरिक्त विज्ञापन अथवा अन्य कर्यों के लिए करता है।

ख– मान्यता प्राप्त प्रतिनिधि के गैर पत्रकारिता की गतिविधियों में रत होने या अशोभनीय आचरण करने की दशा में मान्यता निलम्बित या वापस ली जा सकती है।

ग– यदि मान्यता प्राप्त प्रतिनिधि अपने अथवा अपने संगठन के बारे में झूठी सूचना देते पाया जाता है और यदि उसे अपने बचाव का उचित अवसर देने के बाद समिति को यह संतोष हो जाता है कि आरोप सही है तो मान्यता निलम्बित या वापस ली जा सकती है।

(2) उपर्युक्त आधार पर मान्यता समाप्त करने से पूर्व संबंधित पत्र–प्रतिनिधि को कारण बताओं नोटिस दिया जायेगा और उससे प्राप्त उत्तर या एक निर्दिष्ट अवधि में उत्तर प्राप्त न होने पर मामले के अन्य उपलब्ध तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अन्तिम निर्णय लिया जायेगा।

(3) पत्र–प्रतिनिधि यदि समिति के समक्ष व्यक्तिगत रूप से अपना पक्ष स्पष्ट करना चाहें तो आवश्यकतानुसार उसे इसका अवसर दिया जायेगा।

32. परिस्थितियों में परिवर्तन होने पर:–

(1) पत्र–प्रतिनिधि को जिन परिस्थितियों में मान्यता दी गई है उनमें यदि कोई भी परिवर्तन आ जाय जिनके आधार पर मान्यता का पुनरीक्षण आवश्यक हो जाय तो सामान्य पुनरीक्षण के समय अथवा किसी भी समय संबंधित पत्र–प्रतिनिधि को मान्यता के विषय में समिति अपने विवेक का प्रयोग करते हुए निश्चय करेगी।

(2) समिति को पुनरीक्षण के लिए संबंधित पत्र–प्रतिनिधि, समाचार–पत्र/समाचार समिति से कोई भी सूचना प्राप्त करने का अधिकार होगा। निर्धारित अवधि के भीतर सूचना न प्राप्त होने पर संबंधित पत्र–प्रतिनिधि की मान्यता समाप्त की जा सकती है।

(3) समिति को अधिकार होगा कि वह समाचार पत्र की प्रसार संख्या की जांच जिलाधिकारी के तथा ऑडिट ब्यूरों ऑफ सर्कुलेशन के सहयोग से कर सकती है।

33. **समाचार-पत्र आदि छोड़ने पर मान्यता की समाप्ति** :- यदि कोई मान्यता प्राप्त पत्र–प्रतिनिधि अथवा फोटोग्राफर संबंधित समाचार पत्र, समाचार एजेन्सी, फीचर एजेन्सी, फोटो एजेन्सी, ब्राडॅकास्टिंग संस्थान अथवा टेलीविजन का प्रतिनिधित्व छोड़ता है तो अधिशासी निदेशक को प्रतिनिधि/संपादक अथवा मैनेजर द्वारा लिखित सूचना प्राप्त होते ही सम्बन्धित की मान्यता स्वयंमेव समाप्त हो जायेगी।

समिति की संस्तुति पर अधिशासी निदेशक उक्त व्यक्ति की मान्यता समाप्त कर सकते हैं।

34. **प्रत्यावेदनः-**

समाचार–पत्र, एजेन्सी और पत्र–प्रतिनिधि इन नियमों के अन्तर्गत लिये गये किसी भी निर्णय के विरुद्ध शासन को प्रत्यावेदन कर सकते हैं। प्रत्यावेदन संबंधित समाचार–पत्र, एजेंसी अथवा पत्र–प्रतिनिधि को निर्णय प्राप्त होने के दो मास के भीतर शासन को प्रस्तुत कर देना चाहिए। संबंधित व्यक्ति या संगठन को स्पष्टीकरण का पूरा अवसर देने के पश्चात् समिति के परामर्श से शासन द्वारा किया गया निर्णय अंतिम माना जायेगा।

35. **प्रतिनिधियों की सूची का पुनरीक्षणः-**

सामान्यतया मान्यता प्राप्त प्रतिनिधियों की सूची का पुनरीक्षण समिति द्वारा समय–समय पर किया जाता रहेगा। इस हेतु एक स्थाई सूची अधिशासी निदेशक अपने कार्यालय में रखेंगे।

36. **मान्यता अहस्तांतरणीयः-** मान्यता व्यक्ति विशेष को प्रदान की जाती है, अतः उसे हस्तान्तरित नहीं किया जा सकता है।

37. **प्रतिबन्धः-** मान्यता मिल जाने से पत्र–प्रतिनिधि का कोई सरकार स्तर निर्धारित नहीं हो जाता। सरकार पत्र–प्रतिनिधि को केवल संबंधित समाचार–पत्र अथवा प्रेस एजेन्सी के प्रतिनिधि के रूप में मान्यता प्रदान करती है। इसलिए उसे अपने विजिटिंग कार्ड अथवा लेटर हेड पर "उत्तरांचल सरकार से मान्यता प्राप्त" नहीं छपवाना चाहिए।

38. **मान्यता कार्ड :-** पत्र–प्रतिनिधि को मान्यता प्रदान किये जाने पर एक कार्ड दिया जायेगा और इसकी सूचना संबंधित जिला प्रशासन को दी जायेगी। पत्रकार सम्मेलनों में केवल मान्यता प्राप्त पत्र–प्रतिनिधि भाग ले सकते हैं, किन्तु विशेष समारोहों के लिए अलग से निमन्त्रण पत्र वितरित किये जाने की व्यवस्था है।

39. **सुविधाऐं:-** मान्यता प्राप्त पत्र–प्रतिनिधि को जिला प्रशासन द्वारा जारी की गई प्रचार सामग्री तथा उसके द्वारा पत्रकारों को दी जाने वाली सुविधाएं प्राप्त करने का अधिकार होगा।

40. **स्वतन्त्र पत्रकार:-** स्वतन्त्र पत्रकार के रूप में मान्यता के लिए पूर्ण विवरण सहित सादे कागज पर प्राप्त आवेदन–पत्रों पर भी समिति विचार कर सकती है।

41. **फोटोग्राफर:-** फोटोग्राफर के रूप में मान्यता के लिए यह जानकारी प्राप्त की जाये कि आवेदक को रिटेनर के रूप में पारिश्रमिक मिलता है या नहीं। तदोपरन्त ही ऐसे प्रकरण पर विचार किया जाये।

42. **फोटो एजेन्सी:-** फोटो एजेन्सी के प्रतिनिधि को मान्यता के प्रकरण में सम्पादक का इस आशय का पत्र होना चाहिए कि गत एक वर्ष से संदर्भित एजेन्सी के कितने फोटो प्राप्त हुये, कितने छपे और उसे कितने पारिश्रमिक का भुगतान किया गया।

परिशिष्ट–1

फार्म

उत्तरांचल सरकार के मुख्यालय में पत्र–प्रतिनिधियों/फोटोग्राफरों की मान्यता प्राप्त–प्रतिनिधि/फोटोग्राफर के सम्बन्ध में सूचना

(कृपया पूरे उत्तर लिखें)

1. पूरा नाम----------

2. पिता का नाम----------

3. शैक्षिक योग्यता----------

4. जन्म तिथि----------

5. क्या श्रमजीवी पत्रकार या सेवा शर्त ----------
तथा अन्य विविध प्राविधान अधिनियम
के अनुसार श्रमजीवी पत्रकार हैं

6. समाचार–पत्र अथवा समाचार एजेंसी----------
का नाम जिसमें इनकी नियुक्ति पूर्णकालिक है।
फोटोग्राफरों के मामलें में यदि वे पूर्णकालिक नहीं
हैं तो प्राप्त होने वाले 'रिटेनिंग' की राशि
का उल्लेख करें।

7. समाचार–पत्र/एजेंसी की श्रेणी एवं ----------
प्रतिनिधि को प्राप्त होने वाले वेतनमान तथा
नियुक्ति पत्र की फोटो प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।

8. पत्र–प्रतिनिधि के प्राविडेंट फण्ड की संख्या----------

9. पत्रकारिता का अनुभव, व समाचार पत्र अथवा----------
एजेंसी जिसमें उन्होंने सवैतनिक कार्य किया है।

10. स्थाई पता----------

---

11. देहरादून/राजधानी में निवास स्थान का पता----------

---

12. प्रचार सामाग्री आदि ----------
किस पते पर भेजी जाए।

13. पत्र–प्रतिनिधि का फोन नम्बर कार्यालय ----------

निवास स्थान ----------

देहरादून / राजधानी में निवास की अवधि ----------

14. समाचार–पत्र / एजेंसी संबंधी सूचना अर्थात पत्र का वर्ग और प्रकार, पत्र की अभिरूचि के विषय, प्रकाशन की अवधि, ग्राहक संख्या प्रसार (आवश्यक हो तो दूसरा कागज लगा लें)

15. क्या समाचार–पत्र / एजेंसी में अन्य मान्यता प्राप्त पत्र–प्रतिनिधि है?
उनकी संख्या और अतिरिक्त मान्यता प्राप्त करने के कारणों का उल्लेख करें।
वर्तमान और प्रस्तावित पत्र–प्रतिनिधियों के विषय के विभाजन का उल्लेख करें।

16. पत्र–प्रतिनिधियों को समाचार प्रेषण हेतु टेलीग्राफिक अथारिटी / प्रीपेड ट्रंक काल की सुविधा / टेलीप्रिंटर सुविधा प्राप्त है या नही। यदि है तो उसका विवरण तथा समाचार भेजने के साधन।

17. पत्र–प्रतिनिधि के पासपोर्ट आकार का एक फोटो चित्र कृपया संलग्न करें।

पत्र–प्रतिनिधि के हस्ताक्षर----------

संपादक के प्रतिहस्ताक्षर----------

समाचार–पत्र / एजेंसी का ----------

नाम व पता ----------
तथा मोहर

नोट (1) सम्पादक कृपया कालम 5, 6, 7, 8, 9, 14 और 15 पर विशेष रूप से दृष्टिपात करें और यदि पत्र–प्रतिनिधि ने कोई सूचना नहीं भरी है तो उसे कृपया पूर्ण कर दें।

(2) प्रसार की पुष्टि में रजिस्ट्रार न्यूजपेपर्स का प्रमाण–पत्र ही मान्य है।

(3) आवेदन–पत्र के साथ 1½ x 1½ के दो फोटो संलग्न करें।

परिशिष्ट–2

फार्म

उत्तरांचल शासन के जिला मुख्यालयों में पत्र–प्रतिनिधियों की मान्यता पत्र–प्रतिनिधि के सम्बन्ध में सूचना

(कृपया पूरे उत्तर लिखें)

1. पूरा नाम ----------

2. पिता का नाम ----------

3. पत्र या समाचार एजेंसी का नाम ----------

4. समाचार–पत्र / एजेंसी सम्बन्धी सूचना ----------
अर्थात पत्र का वर्ग और प्रकार, पत्र की अभिरूचि के विषय, प्रकाशन की अवधि, ग्राहक संख्या, प्रसार क्षेत्र

5. मुख्य व्यवसाय ----------

6. पूर्णकालिक पत्र–प्रतिनिधि / सम्पादक ----------
है अथवा अंशकालिक

7. पत्रकारिता का अनुभव ----------

8. पत्र–प्रतिनिधि के निवास का पता ----------

9. जिले / स्थान का नाम जिसके लिए ----------
मान्यता चाही गयी है।

10. पत्र–प्रतिनिधि का फोन नम्बर ----------
यदि कोई हो।

पत्र–प्रतिनिधि के हस्ताक्षर ----------

संपादक के प्रतिहस्ताक्षर ----------

समाचार–पत्र / एजेंसी का ----------

नाम व पता ----------
तथा मोहर

नोटः ग्राहक संख्या की पुष्टि में रजिस्ट्रार न्यूजपेपर्स का प्रमाण–पत्र भेजना आवश्यक है।